



फर्द अहकाम  
 राजेश वगै० बनाम हीरालाल वगै०  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)  
 केस संख्या ...../2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.02.2022	<p>प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र श्री मंगल चन्द यादव एडवोकेट ने पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 18/2/22 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">             उप खण्ड अधिकारी            शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान         </p> <p style="text-align: center;">           स्थित/अभिभाषक सच ने            प्रशासनिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब            अन्य प्रशासनिक कार्य ..... हैं।            पत्रावली गत आदेशानुसार दि 23/2/22 को पेश हो         </p> <p>23/2/22            वकील भाषी उपा। राजेश वगै० की ओर से श्री            रामजोषा एडवोकेट ने उप उपा. उपा. पत्र            को पेश किया। वकील भाषी ने अपनी दस्त में            T.P. हेतु रिपोर्ट किया। वकील भाषी ने जाति            किया कि उनके पेशे को राजस्थान व मोके की            दया स्थिति से बाबत किया जाये। हमने उपा. पत्र            की दस्त में जाति किया तथा पत्रावली को रजिस्ट्रार            वाले पर उपा. पत्र को रजिस्ट्रार विधे चलावे            पाबत करना उचित समझे हैं।</p> <p>कहा. वकील भाषी तथा उपा. राजेश वगै०            को रजिस्ट्रार विधे चलावे के मूल वाद के निस्तार            तक पाबत किया जाता है कि मात्राची एन्ड 1224            1225 कुल मिला 2 (मूल 2.86) के बावत उपा.            साईयास महोदय शाहपुरा के राज्य रिपोर्ट व मोके            की दया स्थिति को रखा। पत्रावली के लिये            उपा. मूल वाद के दस्तलिखित रहे।</p> <p style="text-align: right;">             उप खण्ड अधिकारी            शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान         </p>	